The Hindu Plus Summary : 30.01.2024

मेन्स मास्टर

एक साथ चुनाव के पक्ष और विपक्ष

संदर्भ: भारत सरकार लोकसभा (राष्ट्रीय संसद) और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने पर विचार कर रही है, जो संभवतः 2024 में शुरू होगा। एक उच्च-स्तरीय समिति वर्तमान में प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया एकत्र कर रही है।

पृष्ठभूमि: भारत में ऐतिहासिक रूप से 1952-1967 के बीच एक साथ चुनाव हुए, लेकिन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के बार-बार भंग होने के कारण अंततः यह प्रथा बंद हो गई। समर्थकों का तर्क है कि एक साथ चुनाव कराने से लागत कम होगी, शासन में सुधार होगा और सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलेगा।

फ़ायदा:

लागत बचत: पूरे वर्ष विभिन्न राज्यों में कई चुनावों के बजाय हर पांच साल में केवल एक बड़ा चुनाव आयोजित करने की कल्पना करें। इससे सरकार की लागत नाटकीय रूप से कम हो जाती है, जिससे करदाताओं का मूल्यवान पैसा बच जाता है जिसे बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं में लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दल और उम्मीदवार भी प्रचार पर कम खर्च करते हैं, जिससे अधिक टिकाऊ और वित्तीय रूप से जिम्मेदार राजनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र बनता है।

बेहतर शासन: लगातार प्रचार अभियान पर रोक के साथ, निर्वाचित अधिकारी अंततः प्रभावी ढंग से शासन करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। चुनाव प्रचार के लिए समर्पित कम समय का मतलब नीति निर्माण, कार्यान्वयन और सार्वजनिक सेवा वितरण पर अधिक ध्यान देना है। इससे बेहतर प्रशासन, नागरिकों की जरूरतों के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया और दीर्घकालिक योजना और विकास के लिए अनुकूल अधिक स्थिर राजनीतिक माहौल बनता है।

प्रशासनिक दक्षता: बार-बार होने वाले चुनाव प्रशासनिक मशीनरी के सामान्य कामकाज को बाधित करते हैं। नौकरशाहों को चुनावी रसद प्रबंधन के अपने नियमित कर्तव्यों से दूर कर दिया जाता है, जिससे सरकारी काम में देरी और अक्षमताएं पैदा होती हैं। एक साथ चुनाव प्रशासन को सुचारू रूप से काम करने, मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और नागरिकों को अधिक प्रभावी ढंग से सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देते हैं।

नुकसान

1. क्षेत्रीय दलों और संघवाद का कमजोर होना:

• राष्ट्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय पार्टियाँ क्षेत्रीय चिंताओं और हितों पर ग्रहण लगाते हुए चर्चा पर हावी हैं।

• क्षेत्रीय दल, जो राज्य-विशिष्ट चिंताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, प्रमुखता खो देते हैं और राष्ट्रीय दलों के संसाधनों और पहुंच के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष करते हैं।

• इससे नीतियों का एकरूपीकरण हो सकता है और अद्वितीय क्षेत्रीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की उपेक्षा हो सकती है, जिससे भारत के लोकतंत्र का संघीय ढांचा कमजोर हो सकता है।

2. मतदाता सहभागिता और सूचित विकल्पों में कमी:

• कम, उच्च जोखिम वाले चुनावों से मतदाता थक सकते हैं और भागीदारी कम हो सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां राष्ट्रीय मुद्दे उतने प्रमुख नहीं हैं।

• मतदाताओं को स्थानीय उम्मीदवारों और उनके प्लेटफार्मों की उपेक्षा करते हुए, राष्ट्रीय मुद्दों या पार्टी की छवि के आधार पर सतही विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

• इससे निर्वाचित अधिकारियों के प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता और उनके स्थानीय घटकों के प्रति जवाबदेही से समझौता हो सकता है

3. सत्तारूढ़ दल द्वारा दुरुपयोग की संभावना:

• निश्चित पांच साल की शर्तें मौजूदा सरकार को अनुचित लाभ दे सकती हैं, यह जानते हुए कि उन्हें मध्यावधि चुनावों के माध्यम से मतदाता जांच का सामना नहीं करना पड़ेगा।

• यह दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों या सुशासन की कीमत पर एक और कार्यकाल हासिल करने के उद्देश्य से नीतियों और व्यवहारों को प्रोत्साहित कर सकता है।

• भविष्य के लोकसभा चुनावों में प्रचार के लिए राज्य मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं।

4. तार्किक चुनौतियाँ और व्यवधान:

• भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में एक साथ चुनाव लागू करना महत्वपूर्ण तार्किक चुनौतियां पेश करता है।

• मतदाता डेटाबेस का प्रबंधन, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और विभिन्न क्षेत्रों में निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए एक साथ अपार संसाधनों और समन्वय की आवश्यकता होती है।

• चुनावी सीमाओं में बार-बार बदलाव और निश्चित शर्तों के कारण मतदाता सूचियों में समायोजन से भ्रम पैदा हो सकता है और चुनावी प्रक्रियाएं बाधित हो सकती हैं।

5. संवैधानिक और कानूनी चिंताएँ:

• लोकसभा और राज्य विधानसभा की शर्तों को तय करने के लिए संविधान में संशोधन करना एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है, जिसके लिए संसदीय और सार्वजनिक अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

• ऐसे संशोधनों की वैधता और उनके लोकतांत्रिक सिद्धांतों के संभावित उल्लंघन के संबंध में कानूनी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं।

• चुनाव की तारीखों और संघीय प्रावधानों जैसे राष्ट्रपति शासन या अनुच्छेद 356 के तहत राज्य विधानसभाओं के विघटन के बीच विवादों को हल करने के लिए सावधानीपूर्वक विचार और कानूनी स्पष्टता की आवश्यकता होती है।

• सर्वोत्तम प्रथाएं :

• दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन और जर्मनी जैसे देशों के मॉडल का अध्ययन, जो निश्चित अवधि के विधायी चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित करते हैं, भारत में इस प्रथा को लागू करने में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। साजो-सामान संबंधी व्यवस्थाओं, अभियान वित्तपोषण नियमों और जन जागरूकता अभियानों की तुलना अनुकूलन के लिए मूल्यवान सबक प्रदान कर सकती है।

• चरणबद्ध दृष्टिकोण: अचानक बदलाव के बजाय, चरणबद्ध दृष्टिकोण के माध्यम से क्रमिक कार्यान्वयन पर विचार करें। इसमें लोकसभा चुनावों को एक चक्र में आधे राज्य विधानसभाओं के साथ और शेष आधे को अगले चक्र में संयोजित करना शामिल हो सकता है। यह व्यवधान को कम करते हुए और सार्वजनिक विश्वास का निर्माण करते हुए सिस्टम का परीक्षण और अनुकूलन करने की अनुमति देता है।

• वैकल्पिक सरकार का गठन: निश्चित शर्तों के साथ सरकार की स्थिरता के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए, "अविश्वास के रचनात्मक वोट" जैसे तंत्र की खोज पर विचार किया जा सकता है। इसके लिए एक वैकल्पिक सरकार के प्रस्ताव के साथ अविश्वास प्रस्ताव की आवश्यकता होगी, जो एक सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करेगा और राजनीतिक अस्थिरता को रोकेगा।

तकनीकी समाधान: मतदाता पंजीकरण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, ऑनलाइन वोटिंग विकल्प (जहां संभव और सुरक्षित हो), और कुशल डेटा प्रबंधन एक साथ चुनाव कराने में पारदर्शिता, सटीकता और सुविधा को बढ़ा सकते हैं। इससे लॉजिस्टिक चुनौतियां भी कम हो सकती हैं और लागत भी कम हो सकती है।

• स्वतंत्र निरीक्षण: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की स्वायत्तता और संसाधनों को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। इसमें शिकायतों से निपटने, विवादों को सुलझाने और अभियान वित्त नियमों को लागू करने के लिए एक पारदर्शी तंत्र बनाना शामिल है।

पश्चिमी गोलार्ध :

• खुली बातचीत और आम सहमति बनाना: सभी राजनीतिक दलों, नागरिक समाज संगठनों और जनता के साथ खुली और पारदर्शी बातचीत में शामिल होना प्रस्ताव पर आम सहमति बनाने की कुंजी है। यह चिंताओं की व्यापक समझ सुनिश्चित करता है, विकल्पों की खोज की सुविधा प्रदान करता है, और चुने हुए दृष्टिकोण के लिए सार्वजनिक समर्थन को बढ़ावा देता है।

• जन जागरूकता अभियान: एक साथ चुनावों के निहितार्थों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, गलतफहमियों को दूर करने और लाभों और चुनौतियों को समझाने के लिए व्यापक सार्वजनिक शिक्षा और आउटरीच प्रयास आवश्यक हैं। इसमें विभिन्न मीडिया चैनलों का उपयोग करना, कार्यशालाएं आयोजित करना और सामुदायिक बातचीत आयोजित करना शामिल हो सकता है।

• प्रायोगिक कार्यान्वयन और मूल्यांकन: राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन से पहले सीमित संख्या में राज्यों में प्रणाली को प्रायोगिक तौर पर चलाने पर विचार करें। यह लॉजिस्टिक्स का परीक्षण करने, संभावित मुद्दों की पहचान करने और स्केलिंग से पहले आगे सुधार के लिए फीडबैक इकट्ठा करने की अनुमति देता है।

• नियमित समीक्षा और अनुकूलन: एक साथ चुनाव लागू करना एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए निरंतर निगरानी, मूल्यांकन और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। स्वतंत्र विशेषज्ञों और हितधारकों द्वारा नियमित समीक्षा के लिए एक तंत्र स्थापित करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि प्रणाली कुशल, पारदर्शी और उभरती जरूरतों के प्रति उत्तरदायी बनी रहे।

• लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता: अंततः, एक साथ चुनावों की सफलता भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को बनाए रखने पर निर्भर करती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, मीडिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और सभी राजनीतिक दलों के लिए निष्पक्ष और समान अवसरों की गारंटी देना एक मजबूत और जीवंत लोकतंत्र बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

विकास के एक विशिष्ट भारतीय मॉडल के लिए

प्रसंग:

• भारत का तीव्र विकास पथ 2030 तक इसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए तैयार है।

• पूंजीवाद और साम्यवाद जैसे वर्तमान आर्थिक मॉडल की सीमाएं हैं: पूंजीवाद असमानता उत्पन्न करता है, साम्यवाद व्यक्तिवाद को दबाता है।

• भारत को एक अद्वितीय विकास मॉडल की आवश्यकता है जो इसके मूल्यों के अनुरूप हो और इन सीमाओं को संबोधित करता हो।

विकास क्या है?:

• लेखक विकास को केवल आर्थिक वृद्धि से परे परिभाषित करता है, जिसमें शामिल हैं:

  ◦ गरीबों का उत्थान ("अंत्योदय")

  ◦ छोटे व्यवसायों को समर्थन देना ("लघु उद्योग")

  ◦ सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देना ("सहकार")

  ◦ आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना ("आत्मनिर्भरता")

  ◦ न्यूनतम जीवन स्तर और सामाजिक सामंजस्य सुनिश्चित करना

विकास का एक अनोखा भारतीय मॉडल क्या है?:

• यह मॉडल भारतीय मूल्यों और लोकाचार ("चिथि") में निहित है:

  ◦ एकात्म मानववाद: व्यक्तियों की समग्र आवश्यकताओं और आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करना।

  ◦ समुदायवाद: स्थानीय आर्थिक नेटवर्क और पारस्परिक निर्भरता को प्राथमिकता देना।

  ◦ आत्मनिर्भरता: आवश्यक क्षेत्रों में रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करना।

आंतरिक लाभ:

• समावेशी और न्यायसंगत विकास, गरीबी और असमानताओं को संबोधित करना।

• मजबूत स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं और रोजगार सृजन।

• किसानों और ग्रामीण समुदायों का सशक्तिकरण।

• विदेशी शक्तियों पर निर्भरता कम हुई और राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ी।

• सामाजिक समरसता एवं सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण।

चुनौतियाँ:

• ऐसे मॉडल को लागू करने और बनाए रखने के लिए मौजूदा नीतियों और आर्थिक संरचनाओं में महत्वपूर्ण समायोजन की आवश्यकता होती है।

• सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक जरूरतों के साथ व्यक्तिगत आकांक्षाओं को संतुलित करना।

• नौकरशाही बाधाओं पर काबू पाना और कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

• निहित स्वार्थों से संभावित विरोध का मुकाबला करना।

सुधारात्मक उपाय:

• आगामी बजट और नीतियों में ज्ञान समूहों (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) को प्राथमिकता देना।

• स्थानीय शासन और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना।

• शिक्षा, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे में निवेश।

• वित्तीय समावेशन और संसाधनों तक पहुंच को बढ़ावा देना।

• मॉडल के लाभों के बारे में आम सहमति और सार्वजनिक समझ बनाना।

निष्कर्ष:

• विकास का एक विशिष्ट भारतीय मॉडल समावेशी और टिकाऊ प्रगति के लिए एक आशाजनक मार्ग प्रदान करता है।

• इसकी पूर्ण क्षमता को साकार करने के लिए चुनौतियों पर काबू पाना और प्रभावी उपायों को लागू करना महत्वपूर्ण है।

प्रीलिम्स बूस्टर

हम्बोल्ट की पहेली क्या है और भारत के लिए इसका क्या अर्थ है?

- 🌍 हम्बोल्ट की पहेली, जिसका नाम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के नाम पर रखा गया है, इस धारणा को चुनौती देती है कि जैव विविधता पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केंद्रित है और पहाड़ों को अपवाद के रूप में उजागर करती है, पूर्वी हिमालय को विशेष रूप से पक्षी विविधता में उच्च जैव विविधता के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है।
- ⛰️ पर्वत अपेक्षाओं के विपरीत उच्च जैव विविधता प्रदर्शित करते हैं, भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे उत्थान से नए आवास बनते हैं और जलवायु संबंधी स्थिर क्षेत्र पर्वतीय जैव विविधता में योगदान करते हैं।
- 🌦️ पहाड़ों में जलवायु असमानता और भूवैज्ञानिक विविधता जैव विविधता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, शोध से पता चलता है कि कुछ पक्षी समूह कहीं और विकसित हुए और इस क्षेत्र में फैल गए।
- प्रगति के बावजूद, प्रजातियों की घटना पर बढ़िया डेटा सीमित है, जो पर्वतीय जैव विविधता को समझने के लिए अधिक शोध और आनुवंशिकी जैसे आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता पर बल देता है।
- 🌐 भारत में राष्ट्रीय कार्यक्रम, जैसे कि हिमालयी अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन और जैव विविधता और मानव कल्याण पर राष्ट्रीय मिशन, का उद्देश्य जैव विविधता अनुसंधान में अंतराल को संबोधित करना है और इसे मजबूत किया जाना चाहिए।

तेजी से ईवी अपनाने के लिए बैटरी प्रौद्योगिकियों में सुधार

- 💰 भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार के 2030 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, बैटरी प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण 2022 की तुलना में पिछले साल बिक्री में 50% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- 🔋 बैटरी प्रणाली, जो वाहन लागत का 40% बनती है, ईवी उद्योग की अनुमानित वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, जो बेहतर अर्थशास्त्र और उपयोगकर्ता अनुभव के लिए बैटरी प्रौद्योगिकी में प्रगति पर निर्भर है।
- ⚡ लिथियम-आयन बैटरियां, वर्तमान ईवी के लिए प्रमुख विकल्प, कम ऊर्जा घनत्व, धीमी चार्जिंग और खनन से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं जैसी सीमाएं प्रदर्शित करती हैं।
- 🔄 ईवी बैटरियों को बढ़ाने के तरीकों में इलेक्ट्रोड सामग्री में बदलाव, सुरक्षा और तेज चार्जिंग के लिए सेंसिंग और नियंत्रण बुनियादी ढांचे को तैनात करना और सॉलिड-स्टेट लिथियम बैटरी (एसएसबी) जैसे प्रतिमान बदलाव की खोज करना शामिल है।
- भारतीय विश्वविद्यालयों, सरकारी अनुसंधान प्रयोगशालाओं में सामग्री विज्ञान में चल रहे शोध और सेमीकंडक्टर उद्योग का योगदान ईवी बैटरी प्रौद्योगिकी में प्रगति में योगदान देता है, जिससे उद्यमियों और शोधकर्ताओं को इस क्षेत्र में अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

आसियान सावधानीपूर्वक म्यांमार, दक्षिण चीन सागर संघर्ष पर प्रगति की आशा करता है

लाओस में आसियान की बैठक में दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों और म्यांमार संकट जैसे मुद्दों को संबोधित किया गया, जिसमें लाओस के विदेश मंत्री सेलमक्साय कोमासिथ ने सतर्क आशावाद व्यक्त किया। म्यांमार के सैन्य नेताओं ने बैठक में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि भेजा, जो एक सकारात्मक जुड़ाव का संकेत है, जबकि थाईलैंड ने म्यांमार को अधिक मानवीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है। म्यांमार में शांति के लिए आसियान की पांच सूत्री सर्वसम्मति योजना पर जोर दिया गया और दक्षिण चीन सागर में समुद्री विवादों पर चर्चा हुई, फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने चीन के साथ तनाव के बीच आसियान का समर्थन मांगा।

🌏 आसियान, या दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ, 8 अगस्त, 1967 को स्थापित एक क्षेत्रीय अंतरसरकारी संगठन है, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के दस सदस्य देश शामिल हैं।

- 🤝 संस्थापक सदस्यों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल हैं, बाद के विस्तारों में ब्रुनेई (1984), वियतनाम (1995), लाओस (1997), म्यांमार (1997), और कंबोडिया (1999) शामिल हैं; संगठन का लक्ष्य क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देना, अपने सदस्यों के बीच आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है।
- 🌐 आसियान गैर-हस्तक्षेप और आम सहमति निर्माण के सिद्धांतों पर काम करते हुए क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने और आर्थिक असमानताओं और सुरक्षा चिंताओं जैसी आम चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में काम करता है।

पीएनजीआरबी समाप्त हो रहे तेल क्षेत्रों में गैस के भंडारण का 'समर्थन' करेगा

- 🛢️ भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) समाप्त हो रहे तेल और गैस क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस भंडारण बनाने का समर्थन करता है, जिसमें भंडारण की लागत को शामिल करने के लिए पाइपलाइन उपयोग के लिए टैरिफ को समायोजित करने की योजना है।
- 📈 भारत की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, प्रति दिन 350 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर की संचयी क्षमता के साथ, गैस भंडारण सुविधाओं के रूप में काम कर सकती है, और मंत्रालय ने गेल को गैस भंडारण के लिए एक योजना तैयार करने के लिए कहा है, जो भंडारण सुविधाओं के विस्तार में सरकार की रुचि का संकेत है। प्राकृतिक गैस के लिए·
- 💧 पीएनजीआरबी पाइपलाइनों के माध्यम से हाइड्रोजन के परिवहन के लिए नियमों और सुरक्षा मानकों पर काम कर रहा है, विभिन्न स्थानों पर प्राकृतिक गैस के साथ हाइड्रोजन के मिश्रण के लिए पायलट परियोजनाएं चल रही हैं।
- 🛢️ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) का गठन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के तहत किया गया था, जिसका उद्देश्य पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक से संबंधित निर्दिष्ट गतिविधियों में लगे उपभोक्ताओं और संस्थाओं के हितों की रक्षा करना था। गैस·
- 📋 अधिनियम बोर्ड को निर्बाध और पर्याप्त सुनिश्चित करने के लिए, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़कर, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के शोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन और बिक्री को विनियमित करने का अधिकार देता है। देश के सभी भागों में आपूर्ति।